FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0200 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/07/2026 20:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 13/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 14/07/2026

   Time Period (समय अवधि): पहर 6 **Time From (समय से):** 17:30 बजे **Time To (समय तक):** 17:09 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/07/2026 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/07/2026 20:08:58 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** BHUGOR TIRAHA PAR STHIT BHAWNA JODHPUR SWEETS KI DUKAN, ALWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** BHAJNIRAM MEENA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** RADHAKRISHAN

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	ROOPBAS PULIYA KE PASS, MOHIT NAGAR, SADAR ALWAR, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	JAISINGHPURA, RAINI, ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Address (पता)**
1	SHANKARLAL SHARMA		पिता:KANHAIYALAL SHARMA	1. DHAULAPALASH,MALAKHEDA, ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	**Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)**	**Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)**	**Description (विवरण)**	**Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))**
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 13.07.2026 को वक्त करीब 5.30 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस शब्बीर खान, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री भजनीराम पुत्र श्री राधाकृष्ण उम्र-50 साल, जाति मीना निवासी जयसिंहपुरा तहसील रैणी, जिला अलवर हाल निवासी रूपबास पुलिया के पास मोहित नगर थाना सदर जिला अलवर व परिवादी का साला श्री ललीत कुमार पुत्र श्री यादराम, उम्र-28 साल, जाति मीना निवासी 197, गुर्जर मौहल्ला भनोखर, तहसील कठूमर जिला अलवर ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि ''मैं भजनीराम पुत्र श्री राधाकृष्ण जाती मीना निवासी रूपबास पुलिया के पास मोहित नगर सदर थाना अलवर का निवासी हुं। थाना अरावली विहार में मुकदमा नम्बर 269/26 दर्ज है। उस मुकदमे में मेरे लडके प्रदीप कुमार कि गाडी गाडी नं0 8604 के वान्छित होने का लिखा हुआ है। मेरा लडका अन्य लडको के साथ में मारपीट में सामिल नहीं था, उसको उसके दोस्तों ने फोन करके बुलाया था इसलिए वह अपनी गाडी लेकर उनके पास रूपबास पुलिया के पास गया था अब उस मुकदमें में मेरे लडके प्रदिप कुमार का नाम नहीं रखने व मुकदमें में उसकी मदद करने के लिए आई ओ शंकरलाल शर्मा हमारे से 25000 रूपये मांग रहे है। आज सुबह 13.07.2026 को मेरे पास घर पर आकर 5000 रूपये लेकर गये है, और कहा की शाम तक 20000 रूपये और लेकर आ जाना नहीं तो प्रदीप को मुलजिम बना दुंगा और उसको बन्द कर दुंगा मेरा लडका मारपीट मैं सामिल नहीं था उसने कोई मारपिट नहीं कि फिर भी शंकर लाल शर्मा मेरे बेटे को मुल्जिम नहीं रखने के लिए 20000 रूपये रिश्वत मांग रहे है। मैं उनको रिश्वत नहीं देना चाहता हुं और उनको रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हुं। शंकरलाल शर्मा जी रूपये मेरे साले ललित मीणा पुत्र यादराम मीना के मार्फत लेंगे इसलिए आगे कि कार्यवाही मेरा साला ललित कुमार मीणा हि करेगे जो मेरे साथ आये है मैं उनको यह कार्यवाहि करवाने के लिए अधिकृत करता हूं रिपोर्ट पेस है। उक्त प्रार्थना पत्र का मन उप अधीक्षक द्धारा अवलोकन कर परिवादी श्री भजनीराम व सहपरिवादी श्री ललीत कुमार से पूछताछ करने पर यह भी बताया कि हमारी श्री शंकरलाल एएसआई से कोई रंजिश या दुश्मनी नही है तथा पैसों का कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है तथा उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्धारा लिखा जाना तथा प्रार्थना पत्र पर स्वयं व सहपरिवादी श्री ललीत कुमार के हस्ताक्षर होना बताया तथा प्रार्थना पत्र में लिखे हुये तथ्य सही होना बताया तथा पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज एफआईआर नम्बर 269/2026 की छायाप्रति स्वयं के हस्ताक्षर कर प्रस्तुत की। जिसको शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादी द्धारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाये जाने पर वक्त करीब 6.30 पी.एम कार्यालय की अलमारी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर जिसमें नया एस.डी. मैमोरी कार्ड sanDisk 32 GB डालकर, सहपरिवादी श्री ललित कुमार को चलाने व बन्द करने की विधी समझाकर परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार के समक्ष श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 को सुपुर्द किया जाकर परिवादी व सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि आरोपी श्री शंकरलाल एएसआई पुलिस थाना अरावली विहार अलवर से अपने काम के लिये रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें साथ ही श्री सुण्डाराम हैड कानि. को परिवादी व सहपरिवादी के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देश कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु सहपरिवादी श्री ललीत कुमार को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादी व सहपरिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादी व सहपरिवादी के साथ आस पास रहकर परिवादी, सहपरिवादी व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन होने के बाद परिवादी को आरोपी द्धारा मांगी गई रिश्वती राशि साथ लेकर ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आये। परिवादी व सहपरिवादी एवं हैड कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया । वक्त करीब 7.55 पी.एम पर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 ने जरिये वाटसअप कॉल अवगत करवाया कि परिवादी श्री भजनीराम मीना ने गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवा दिया गया है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को आरोपी द्धारा परिवादी से रिश्वत मांग राशि सहित साथ लेकर कार्यालय आने के लिए निर्देश दिये। जिस पर श्री सुण्डाराम ने परिवादी श्री भजनीराम से बात करवाई तो परिवादी ने अवगत कराया कि साहब आपके निर्देशानुसार मैं व मेरा साला ललित कुमार और आपके कार्यालय का कर्मचारी श्री सुण्डाराम आपके कार्यालय से रवाना

होकर रूपबास पुलिया के पास पहूंचे जहां मेरे मोबाईल से श्री शंकरलाल एएसआई के मोबाईल पर कॉल कर मिलने के लिए पूछा तो शंकरलाल एएसआई ने बुर्जा बाईपास पेट्रोल पम्प पर मिलने के लिए कहा इसके बाद श्री सुण्डाराम ने डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर श्री ललित कुमार को सुपुर्द किया जिसे उसने अपने पास सुरक्षित रख लिया वहां से मैं व मेरा साला श्री ललित कुमार मोटरसाईकिल पर रवाना होकर बुर्जा बाईपास पेट्रोल पम्प के पास पहूंचे जहां शंकरलाल एएसआई रोड के साईड में खडा मिला जिससे मैनें व मेरे साले ने मेरे लडका के साथ मारपीट नहीं करने व मुकदमें में मदद करने के संबंध में बातचीत की तो शंकरलाल एएसआई ने कहा कोई मारपीट नहीं करेगा आप बच्चे को ले आना उसका आधार कार्ड ले आना साईन करा कर छोड दुंगा गाडी को कोर्ट से एक दो दिन में छुडा लेना और उसी वक्त शंकरलाल एएसआई ने मेरे साथ गये मेरे साले से 10000/-रूपये रिश्वत के ले लिए तथा 10,000/-रूपये और लाने के लिए कहा है। उक्त वार्ता को रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया जिसे चालू हालत में श्री सुण्डाराम हैड कानि. को दे दिया जिसे उन्होनें बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया था। इस पर मन उप अधीक्षक ने परिवादी से रिश्वत राशि के साथ कार्यालय आने की कहने पर परिवादी ने कहा सर इस समय मेरे पास रूपये नहीं है, मुझे पैसों की भी व्यवस्था करनी है इसलिए मैं पैसों की व्यवस्था कर कल आपके कार्यालय उपस्थित हो जाउंगा। परिवादी द्वारा बताई गई बातों की श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने ताईद की। तत्पश्चात मन् उप पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 14.07.2026 को समय 10.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता की हिदायत देकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. को निर्देश दिये गये आप परिवादी व सहपरिवादी को मौके पर ही छोडकर वॉईस रिकॉर्डर सहित उपस्थित कार्यालय आवें। तत्पश्चात वक्त करीब 8.30 पी.एम रिश्वत मांग सत्यापन हेतु गया हुआ श्री सुण्डाराम हैड कानि. ब्यूरों कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आया और श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने अपने पास से रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओ का रिकार्डशुदा विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि. ने बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं और परिवादी श्री भजनीराम मीना और सहपरिवादी श्री ललित कुमार कार्यालय से रवाना होकर रूपबास पुलिया के पास पहूंचे जहां परिवादी के मोबाईल नम्बर से श्री शंकरलाल एएसआई के मोबाईल नम्बर पर कॉल कर मिलने के लिए पूछा तो शंकरलाल एएसआई ने बुर्जा बाईपास पेट्रोल पम्प पर मिलने के लिए कहा इसके बाद मेरे द्वारा डिजीटल टैप रिकॉर्डर चला कर सहपरिवादी को सुपुर्द किया जिसे सहपरिवादी अपने पास सुरक्षित रख लिया तथा परिवादी व सहपरिवादी को मोटरसाईकिल पर बुर्जा बाईपास पेट्रोल पम्प रवाना कर दिया गया और मैं पीछे पीछे मोटरसाईकिल से रवाना होकर कुछ दूरी पर खडा होकर मेरे द्वारा नजर बनाये हुई थी। करीब 25-30 मिनट बाद परिवादी व सहपरिवादी मेरे पास आये और चालू हालत में टेप रिकॉर्डर मेरे को सुपुर्द किया गया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रख लिया और परिवादी ने बताया कि शंकरलाल एएसआई से रिश्वत मांग सत्यापन के संबंध में बात हो गई है। उक्त बाते जरिये वाट्सएप कॉल द्वारा आपको परिवादी ने बता दी थी। मै, आपके निर्देशानुसार परिवादी व सहपरिवादी को मौके पर ही छोडकर मय वॉईस रिकॉर्डर वहां से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आ गया। तत्पश्चात मन उप पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में ईयरफोन लगाकर सुना तो परिवादी व सहपरिवादी से संदिग्ध आरोपी श्री शंकरलाल, एएसआई द्वारा परिवादी के लडका के साथ मारपीट नहीं करने व मुकदमें में मदद करने के संबंध में बातचीत करना और दौराने रिश्वत मांग सत्यापन सहपरिवादी से 10000/-रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा 10,000/-रूपये और रिश्वत राशि की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को मय एसडी कार्ड के बंद कर कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 14.07.2026 को वक्त करीब 10.30 ए.एम पर परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार उपस्थित कार्यालय आये। सहपरिवादी से रिश्वत मांग सत्यापन पर ट्रेप कार्यवाही हेतु संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि के बारे में पूछा तो सहपरिवादी ने बताया कि साहब हम पैसे साथ लेकर आये है, जो मेरे पास ही रखे है।तत्पश्चात वक्त करीब 11.00 ए.एम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, अलवर से दो कर्मचारी मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित कार्यालय आये जिनका मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम श्री कार्तिक नन्दा पुत्र श्री राजकुमार उम्र 26 साल जाति वाल्मीकी निवासी हजूरी गेट अलवर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी अलवर व दूसरे ने अपना नाम श्री राजन मीणा पुत्र श्री कमल मीणा उम्र 30 साल जाति मीणा निवासी देवयानी हॉस्पिटल के पिछे अलवर हाल कनि. सहायक अलवर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अलवर होना बताया।इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार का दोनों गवाहान से परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 13.07.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी अपनी सहमति प्रदान की तथा उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात दोनों गवाहान को परिवादी व सहपरिवादी से आरोपी श्री शंकरलाल, एएसआई, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर से करवाये गये रिश्वत मांग सत्यापन के बारे में अवगत करवाया गया । वक्त करीब 11.15 ए.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष एवं परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार एवं सदिंग्ध आरोपी श्री शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के मध्य दिनांक

13.07.2026 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय रूबरू हुई वार्ता जोविभागीय टेपरिकॉर्डर में लगे एसडी मैमोरी सनडिस्क 32 जीबी के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर सुनकर दिनांक 13.07.2026 को कार्यालय की आलमारी में मेरी निगरानी व निर्देशन में रखवाये गये राजकीय डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे डले हुये एसडी मैमोरी कार्ड सहित को दिनांक 14.07.2026 को कार्यालय की आलमारी से बाहर निकालकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार ने रिकॉर्ड वार्ता में स्वयं की व आरोपी श्री शंकरलाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार अलवर की होने की पहचान की गई। डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उक्त वार्ता की तीन पैनड्राईव कम्पनी SanDisk 16 GB के तैयार किये गये। एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क A-1, A -2 , A -3 किता कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमारके हस्ताक्षर करवाकर, पेनड्राईव मार्क A-1, A -2 को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव सफेद कपडे की अलग-अलग थैलियों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क A-1, A -2 अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं परिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क A -3 को अनुसंधान हेतु खुला रखा गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 13.07.2026 की रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-1 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। उक्त पेनड्राइव व ट्रांसक्रिप्ट मेरे निर्देशन में श्रीमती मनीषा हैड कानि0 60 से तैयार करवाई गई। उपरोक्त कार्यवाही पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट व तैयार पेनड्राईव एवं जब्ती मूल एसडी मैमोरी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 13.03.2026 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। जब्त आर्टिकल्स को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.00 पी.एम पर दोनो गवाहान समक्ष मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने सपरिवादी श्री ललीत कुमार को आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो सपरिवादी श्री ललीत कुमार ने परिवादी श्री भजनीराम के समक्ष भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल राशी 10,000/- रूपये निकालकर पेश किये। सपरिवादी द्धारा गवाहान व परिवादी के समक्ष पेश की गई प्रचलित भारतीय मुद्रा के 10000/-रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर उपरोक्त पेश शुदा नोटो को दोनो गवाहान व सपरिवादी, परिवादी को दिखाया जाकर मिलान दोनो गवाहान से करवाया गया। उपरोक्त रिश्वत राषि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता अनुसार संदिग्ध आरोपी को दी जानी है, उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोटो कुल 10000/-रूपये पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु श्री रामसिंह कानि. 549 को कार्यालय कक्ष मे बुलाया जाकर कार्यालय की आलमारी के अन्दर से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शिशी निकलवाई जाकर श्री रामसिंह कानि.,से एक साफ अखबार कार्यालय की टेबिल पर बिछाकर उस अखबार के उपर फिनोफ्थलीन पाऊडर निकलवाकर सभी नोटो पर भलि भांति लगवाया गया, तत्पश्चात सपरिवादी ललीत कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवायी गयी तो सपरिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी केवल उसका मोबाईल एवं स्वयं का पहचान पत्र ही रहने दिया गया, इसके बाद श्री रामसिंह कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगे हुये भारतीय चलनमुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- रूपये सपरिवादी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी साईड की जेब में रखवाये गये, तथा सपरिवादी को समझाईस की गई की अब वह इन पाऊडर युक्त नोटो को अनावष्यक रूप से हाथ नही लगावे और आरोपी के मांगने पर ही अपने पास से रिश्वत राशी निकालकर आरोपी को देवे तथा आरोपी द्धारा उक्त नोटो को प्राप्त करके कहा पर रखता है इसका पूरा पूरा ध्यान रखे तथा कोई बहाना बनाकर अपने सिर पर दो बार हाथ फेरकर अथवा मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल फोन पर मिस कॉल/मैसेज कर मुझे या ट्रेप पार्टी के सदस्यो को ईशारा करे साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी हिदायत दी गई की वे जहां तक सम्भव हो सके परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वत के लेन देन को देखने तथा उनके मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने का प्रयास करे साथ ही समस्त ट्रेप पाटी सदस्यों को भी आवश्यक हिदायत दी गई। इसके बाद श्री रामसिंह कानि, से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी उसके पश्चात एक नये प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री रामसिंह कानि.,की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियो व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर सपरिवादी व परिवादी एवं दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर धौवन का रंग गुलाबी या

हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वत राशि को अपने हाथां से प्राप्त की है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास एवं उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया । तत्पश्चात श्री रामसिंह् कानि ,के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद सपरिवादी, परिवादी, गवाहान एवं ट्रैप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रैप कार्यवाही में उपयोग में आनेवाली शीशीया व ढक्कन, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से से धुलवाया गया तथा ट्रैप बॉक्स में रखवाया गया, तथा सपरिवादी को छोडकर ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिवाई तो विभागीय परिचय पत्र एवं मोबाईल के अलावा कोई भी वस्तु/दस्तावेज नही छोडे गये। तत्पश्चात कार्यालय की आलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें नया मैमोरी कार्ड सैनडिस्क 32 जीबी को डालकर, खाली होना सुनिश्चित कर उक्त रिकॉर्डर सपरिवादी को आवश्यक हिदायत देकर सुपुर्द किया गया तथा श्री सुण्डाराम हैड कानि. को हिदायत दी गई की परिवादी को आरोपी के पास रवाना करने से पूर्व विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालुकर सुपुर्द करे और श्री रामसिंह् कानि. को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात वक्त करीब 4.15 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्री भजनीराम मीना व सहपरिवादी श्री ललित कुमार एवं दोनों स्वतन्त्र गवाह् श्री कार्तिक नन्दा व श्री राजन मीणा, एसीबी स्टाफ सदस्य सर्व श्री नरेन्द्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि. 02, भास्कर हैड कानि. 59, रामजीत सिंह कानि. 206,श्री कपिल सोमवंशी, वरिष्ठ सहायक के मय ट्रैप बॉक्स मय सरकारी लैपटॉप व प्रिन्टर व विभागीय डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं अन्य आवश्यक सामान के साथ सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक महेश चन्द व दो स्कूटी व चार मोटरसाईकिल से वास्ते करने ट्रैप कार्यवाही बजानिब अरावली विहार थाने के लिये रवाना हुआ। श्री रामसिंह् कानि. 549 को बाद हिदायत चौकी पर छोडा गया। वक्त करीब 4.45 पी.एम मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व सहपरिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा महाराणा प्रताप ऑडोटोरियम के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, संदिग्ध आरोपी श्री शंकरलाल, एएसआई की लोकेशन जानने के लिए सहपरिवादी श्री ललित कुमार के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी श्री शंकरलाल, एएसआई के मोबाईल पर लाउड स्पीकर ऑन कर कॉल करवाया तो आरोपी एएसआई ने भूगोर बाईपास तिराहा पर स्थित भावना जोधपुर स्वीट्स दुकान पर मिलने के लिए कहा गया। जिस पर महाराणा प्रताप ऑडोटोरियम के पास से आरोपी एएसआई द्धारा सहपरिवादी को बुलाये गये स्थान भूगोर बाईपास तिराहा के लिए रवाना हुये। वक्त करीब 4.55 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी व सहपरिवादी एवं हमराहीयान स्टाफ सदस्यों के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा भूगोर बाईपास तिराहा के पास पहूंचे जहां वाहनो को सडक की साईड वाली जगह पर खडा करवाकर, वाहनो से नीचे उतरकर परिवादी श्री भजनीराम मीना को बाद हिदायत अपने घर जाने के लिए रूखस्त किया गया तथा डिजिटल टेपरिकॉर्ड श्री सुण्डाराम हैड कानि. से चालू करवाकर सहपरिवादी श्री ललित कुमार को सुपुर्द किया जाकर सहपरिवादी को मुनासिब हिदायत देकर संदिग्ध आरोपी श्री शंकरलाल, एएसआई के पास भूगोर बाईपास तिराहा पर स्थित भावना जोधपुर स्वीट्स की दुकान पर रवाना किया सहपरिवादी के पीछे पीछे मन् उप पुलिस अधीक्षक, दोनो गवाहान व बाकी स्टाफ सदस्य भी अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये भावना जोधपुर स्वीट्स की दुकान के आस पास परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। तत्पश्चात वक्त करीब 5.09 पी.एम पर भूगोर तिराया स्थित भावना जोधपुर स्वीट्स की दुकान पर लगी हुई कुर्सी पर बैठे-बैठे रिश्वत राशि देने का निर्धारित ईशारा किया जिसे मुझ उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यों ने देखा सपरिवादी का ईशारा प्राप्त होने पर मन उप अधीक्षक, सपरिवादी से प्राप्त ईशारे के बारे में दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं टीम सदस्यो को अवगत करवाया जाकर उपरोक्त दोनो मौतबिरान एवं ब्यूरो टीम के समस्त सदस्यो व परिवादी को हमराह लेकर भूगोर तिराया पर स्थित भावना जोधपुर स्वीट्स की दूकान पर सपरिवादी के पास पहूंचा जहां सपरिवादी के पास एक व्यक्ति प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठा हुआ था सपरिवादी से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद कर मन उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रख लिया और सपरिवादी ने दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यो के सामने ही अपने पास प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति की तरफ ईशार कर बताया की ये ही श्री शंकर लाल शर्मा, एएसआई साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे भानजे प्रदीप के विरूद्ध पुलिस थाना अरावली विहार अलवर मे दर्ज अपराध संख्या 269/26 के आई.ओ है इन्होने मेरे भानजे प्रदीप के साथ मारपीट नही करने एवं मुकदमे में मदद करने की एवजं मे अभी-अभी 10000/-रूपये की रिश्वत मांग कर लिये है और मेरे से रिश्वत राशि अपने दाहिने हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख लिये है। इस पर मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त दुकान पर लगी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुये व्यक्ति को अपना व ट्रेप पार्टी का परिचय देकर उसे आने का मन्तव्य बताकर उसका नाम पता पूछा तो वह घबरा गया इस पर मुझ उप अधीक्षक पुलिस ने तसल्ली देकर पुनः पूछा तो उक्त ने अपना नाम शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 56 साल निवासी धौलापलाश तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर होना बताया। इस पर मुझ उप अधीक्षक द्धारा दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो के समक्ष आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर से परिवादी से अभी ली गई

रिश्वत राशि किस काम के लिये ली और अभी कहां है के बारे में पूछा तो आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर ने बताया की इसके भानजे प्रदीप के खिलाफ पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज मुकदमा 269/26 दर्ज जिसका मै अनुसंधान अधिकारी हूं ये मेरे पास कल दिनांक 13.07.2026 को मुझसे जब मै थाने से ड्यूटी के बाद मेरे गांव जा रहा था तो प्रदीप के पिताजी श्री भजनीराम का फोन मेरे पास आया तब मैने इनको भूगोर बाईपास पर मेरे पास बुलाया था तब मैने इनको इनके लडके प्रदीप को पेश करने के लिये कहा था तो इन्होने मुझसे अपने लडके को आज लेकर आने के लिये कहा था मैने इनसे कोई पैसे की मांग नही की और ना ही लिये थोडी देर पहले इनका फोन मेरे पास आया और मिलने के लिये कहा तो मै इनसे भूगोर तिराये पर भावना जोधपुर स्वीट्स पर आने के लिये कहा तो ये मेरे पास आये तो मैने इनसे प्रदीप के बारे में पूछा तो मुझसे कहा की दो चार दिन में ले आयेगे इसके बाद इसने अपनी जेब से निकालकर कुछ रूपये जबरदस्ती मेरी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रख दिये जो अभी मेरी पेंट की जेब में ही रखे हुये है। इस पर पास में खडे सपरिवादी ने कहा की साहब ये झूठ बोल रहे है, मेरे भानजे प्रदीप के खिलाफ पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज अपराध संख्या 269/26 के आई.ओ है, उक्त मुकदमे के संबंध में कल दिनांक 13.07.2026 को मेरे जीजाजी श्री भजनीराम के घर पर आया और हमसे मुकदमे में मदद करने एवं मारपीट नही करने के लिये 25000/-रूपये की मांग की उसी वक्त हमसे 5000/-रूपये लेकर आये और 20000/-रूपये शाम तक लेकर आजाने की कहकर आये इसके बाद हम आपके पास आकर इस संबंध में आपको शिकायत देने पर आप द्धारा कल दिनांक 13.07.2026 को ही रिश्वत मांग का सत्यापन करवाने पर एएसआई साहब ने हमसे 10000/-रूपये और ले लिये तथा 10000/-लेकर आज दिनांक 14.07.2026 को बुलाया था और अभी थोडी देर पहले आपके निर्देशानुसार मै इनसे फोन पर बात की तो इन्होने भूगोर तिराये पर इस हॉटल पर बुलाया और जब मै यहां आया तो ये मुझे हॉटल पर बैठे हुये मिल गये मैने इनसे अपने भानजे प्रदीप के बारे मे बातचीत की और इसने मुझसे कहा की कल नोट कम थे पर मैने इनसे कहा की एक नोट कम होगा साहब इसके बाद इन्होने पैसे के लिये कहा तो मैने अपनी पेन्ट की जेंब में रखी हुई रिश्वत राशि 10000/-रूपये निकालकर कर इनको दे दिये तो इन्होने अपने दाहिने हाथ में लेकर फिर बांये हाथ से अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये जो अभी इनकी पेन्ट की उक्त जेब में ही रखे हुये है। इस पर आरोपी से पुनः पूछा तो आरोपी कुछ नही बोला और चुप हो गया। तत्पश्चात भावना जोधपुर स्वीट्स की दुकान से पानी की बोतल मंगवाई जाकर स्टाफ से ट्रैप बाक्स से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी नये डिस्पोजल गिलासों को निकालकर उक्त दोनो प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में साफ पानी भरकर उनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त गिलासो मे से एक प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के घोल में आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, के बांये हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर उनका धोवन लिया गया तो गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हुआ, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शिशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क L -1, L -2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद दूसरे गिलास के घोल में आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगूठे को डुबोकर धोवन लिया गया तो उस गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी सम्बन्धितों ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त गिलास के धोवन को भी दो साफ काँच की शीशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पा कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क R-1 , R -2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब की तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवाई गई तो उक्त जेब में 500-500 रूपये के कुछ नोट मिले जिने पूर्व में बनी फर्दपेशकशी मे अंकित नम्बरो से दोनो गवाहान से मिलान करवाया गया तो उक्त बरामदशुदा नोट मुताबिक फर्द पेशकशी के 500- 500 के 20 नोट कुल 10000/-रूपये नम्बरी नोट होना पाये गये। जिनहे गवाह श्री राजन मीणा के पास सुरक्षित रखवाये गये। अब तक की गई कार्यवाही की लिखापढी मौके पर ही लैपटॉप में कर सेव किया गया। उक्त स्थान मैन रोड पर होने के कारण तथा मौके पर कार्यवाही करने के लिये उपयुक्त स्थान नही होने व मौके पर स्थानीय लोगो की भीडभाड होने से मौके पर अब तक की कार्यवाही में जप्तशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स मय साजो सामान तथा मय आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा मय दोनो गवाहान एवं ट्रेप पार्टी सदस्यो, सपरिवादी के उक्त दुकान से साथ लाये गये वाहनो से अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना अरावली विहार के लिये रवाना हुआ। उपरोक्त रवानाशुदा वक्त करीब 5.45 पी.एम पर पुलिस थाना अरावली विहार पहूंच वाहनो को थाना परिसर में खडा करवाया जार निरूद्धशुदा आरोपी एवं दोनो गवाहना व ट्रेप पार्टी एवं परिवाद व सपरिवादी सदस्यो को वाहनो से उतराकर पुलिस थाना अरावली विहार पहूंच डीओ ड्यूटी को कार्यवाही से अवगत करवाकर थानाधिकारी के कक्ष में पहूंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद आरोपी को थानाधिकारी कक्ष में पहनी हुई पेन्ट की तलाशी गवाह श्री राजन मीणा से लिवाई गई तो पेन्ट की पिछे की जेब में एक पर्स बरंग काला जिस पर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ है को गवाह श्री कार्तिक नन्दा के पास सुरक्षित रखवाया गया इसके बाद आरोपी की पहनी हुई पेन्ट को शालीनतापूर्वक उतरवाया जाकर दूसरी पेन्ट पहनाई गई। इसके बाद ट्रेप बॉक्स से एक नया प्लास्टिक डिस्पोजल गिलास निकलवाया जाकर उक्त गिलास में थानाधिकारी के कक्ष में रखी हुई पानी की बोतल से पानी

भरकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित सभी को दिखाया गया तो सभी ने घोल को रंगहीन होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त पेन्ट की सामने की बांयी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जेब को उल्टाकर उक्त गिलास के घोल में डुबाया गया तो गिलास के धौवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे सम्बन्धितो ने देखकर गिलास के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के धोवन को दो साफ कांच की शिशीयों में आधा-आधा डालकर सील मुहर किया गया व चिट चस्पाकर उन पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर कराकर मार्क P-1, P -2 अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद उक्त पैन्ट जिसकी बांयी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धौवन लिया गया है, उक्त जेब को सुखाकर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे थैली मे रखकर सीलमोहन कर उक्त थैली पर पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद गवाह श्री राजन मीणा के पास बरामदशुदा रिश्वत राशि रखवाई गई को पेश करने की कहने पर श्री राजन मीणा ने अपने पास से निकालकर पेश की। उक्त बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- रूपये के नोटो का विवरण फर्द में अंकित करवाया जाकर बरामद शुदा भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10000/- की रिश्वत राशि को एक सफेद कपडे के साथ नत्थीकर शील मोहर कर उक्त कपडे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ज्ड अंकित कर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त कार्यवाही में रिश्वत लेन देन के वक्त हुई रूबरू वार्तालाप विभागीय रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है जिसे चालू कर सुना गया तो रिश्वत लेन-देन की वार्ता रिकॉर्ड होना पाई रिकॉर्डर को बंद कर सुरिक्षत ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जिसकी पृथक से फर्द ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। फर्द बरामदगी एवं हाथ धुलाई की कार्यवाही की विडियो ग्राफी कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन में 32 जी.बी.सैनडिक्स कम्पनी का एस.डी कार्ड लगवाया जाकर श्री सुण्डाराम हैड कानि से करवाई गई। जिसकी पृथक से फर्द विडियों ग्राफी एवं पैन ड्राईव व फर्द जप्ती एसडी कार्ड तैयार की जावेगी। इसके बाद आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा सउनि से परिवादी/सपरिवादी से संबंधित अपराध संख्या 269/2026 की अनुसंधान पत्रावली के बारे में पूछा तो उक्त पत्रावली को आज दिनांक 14.07.2026 को कोर्ट में थाने के एलसी के साथ भिजवाये जाना बताया। इस पर थाना एचएम श्री गिरधारी लाल हैड कानि. को बुलाकर पूछा जाने पर पत्रावली पेश की जिस पर थाना एचएम को पत्रावली की प्रमाणित छाया प्रति पेश करने की कहने पर उसके द्धारा अपराध संख्या 269/2026 की पत्रावली की प्रमाणित प्रति पेश जिसका अवलोकन कर पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाकी की गई तथा मूल पत्रावली मुनासिफ हिदायत के साथ श्री गिरधारी लाल हैड कानि. को सुपुर्द की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 7.30 पी.एम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दोनो गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 56 साल, निवासी धौलापलाश, तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित किया जाने पर आरोपी के कृत्य के क्रम में बीएनएसएस 2023 में प्रावधानो के अनुसार गिरफतारी के आधार के क्रम मे नोटिस जारी किया जाकर एक प्रति श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर को देकर हस्ताक्षर करवा कर सूचित किया गया। वक्त करीब 7.40 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष एवं सहपरिवादी श्री ललित कुमार एवं आरोपी श्री शंकरलाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार अलवर के मध्य दिनांक 14.07.2026 को रिश्वत लेन देन के समय हुई मोबाईल/रूबरू वार्ताओ के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे सैनडिस्क 32 जीबी के मैमोरी कार्ड के फोल्डर 01 में रिकॉर्डशुदा वार्ता को चलाकर वार्ता के मुख्य अंश सुनकर अपने पास रखा था, को विभागीय लैपटॉप से जोडकर चालू कर टेबिल स्पीकर की सहायता से रिकॉर्ड वार्तालाप को सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। उपरोक्त वार्तालाप में सहपरिवादी श्री ललित कुमार एवं आरोपी श्री शंकरलाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर की आवाज की पहचान सहपरिवादी द्धारा की, उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप को सम्बन्धित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनों गवाहान एवं सहपरिवादी ने पूर्ण रूपेण सही होना स्वीकार किया। इसके बाद उक्त रिकॉर्ड वार्तालाप की पेनड्राईव बनाने हेतु तीन खाली पेनड्राईव जिस पर SanDisk 16 GB अंकित है मंगवाई जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में डले Sandisk 32 GB मैमोरी कार्ड के रिकॉर्डिंग फाईल के फोल्डर 01 मे रिकॉर्डशुदा वार्तालाप को श्री मनीषा हैड कानि. से मन उप अधीक्षक पुलिस द्धारा अपने स्वयं के निर्देशन में उक्त वार्ताओं को कार्यालय के लेपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन पेनड्राईव में कॉपी कर तैयार करवाई जाकर, बाद मिलान वार्ता सही होना सुनिश्चित कर तीनों पेनड्राईवों पर क्रमशः मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित कर फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पर दोनों गवाहान तथा सपरिवादी के हस्ताक्षर करवाकर, एक पैनड्राईव की कार्यालय लैपटॉप की सहायता से एक्सटीरियों एफटीके इमेजर सॉफ्टवेयर से हेश वैल्यु निकाली गई। पेनड्राईव मार्क B-1, B-2, को अलग-अलग प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर प्रत्येक पेनड्राईव को प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की अलग-अलग थैलीयों में रखकर कपडे की थैलीयों पर भी क्रमशः मार्क B-1, B-2, अंकित कर शील्डमोहर कर गवाहान एवं सहपरिवादी के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा पेनड्राईव मार्क B-3 को खुला रखा गया। डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मूल मैमोरी कार्ड को कार्यालय लैपटॉप की सहायता से उसमें सेव वार्ता की एक्सटीरियो एफटीके इमेजर

सॉफ्टवेयर हेश वैल्यु निकाली गई। तत्पश्चात उक्त मूल मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB जिसमें वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 14.07.2026 रिकॉर्ड है को प्लास्टिक की डिब्बी में रखकर, प्लास्टिक की डिब्बी सहित सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शील्डमोहर किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क SD-2 अंकित किया जाकर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। वक्त करीब 8.30 पी.एम पर दोनो गवाहान के समक्ष सहपरिवादी श्री ललित कुमार से आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर द्धारा 10,000/-रूपये रिश्वत प्राप्त करने पर सहपरिवादी द्धारा निर्धारित ईशारा मिलने पर बरामदी रिश्वती राशि की कार्यवाही शुरू की गई थी कार्यवाही के दौरान श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 द्धारा सरकारी मोबाईल में नया एसडी कार्ड Sandisk 32 GB डालकर श्री सुण्डाराम हैड कानि. 02 से वीडियोग्राफी तैयार करवाई गई थी। उक्त मोबाईल से मेमोरी कार्ड निकालकर मेमोरी कार्ड को लैपटॉप मे कनेक्ट कर करवाई गई वीडियोग्राफी को लैपटॉप मे सेव करवाया गया, करवाई गई वीडियो ग्राफी की दो पेन ड्राईव सनडिस्क 16 जीबी के बारी बारी तैयार करवाये गये। पेन ड्राईव को लैपटॉप मे सेव वीडियोग्राफी से मिलान किया गया तो मेमोरी कार्ड में हुई वीडियोग्राफी का मिलान होना पाया गया। पेनड्राईव को पृथक पृथक प्लास्टिक की डिब्बी मे रखकर पेनड्राईव को पृथक पृथक सफेद कपडे की थैली मे रखकर मार्क क्रमशः V-1, V-2 अंकित कर पेन ड्राईव मार्क V-1 को सील मोहर कर कपडे की थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। पेन ड्राईव मार्क V-2 को अनुसंधान हेतु अनशील्ड रखा गया। उक्त विडियो क्लिप के मूल एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त मोबाईल फोन से निकाल कर उक्त कार्ड को एक खाली प्लास्टिक की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त प्लास्टिक की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सीलचिट कर उस पर मार्क SD-3 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। वक्त करीब 9.50 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस ने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 56 साल, निवासी धौलापलाश, तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर को हस्बकायदा जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। वक्त करीब 10.35 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही मे वजह सबूत को शील्ड करने एवं फर्दात आदि पर नमूना सील अंकित करने के प्रयुक्त मे ली गई पीतल की नमूना ब्रास सील नम्बर 77 को श्री सुण्डाराम हैड कानि 02 जरिये तुडवाकर नष्ट कराया जाकर फर्द नष्टीकरण तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वक्त करीब 10.40 पी.एम मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सहायक उप निरीक्षक, श्रीमती सुनीता हैड कानि0 148, श्रीमती मनीषा हैड कानि. 60, सुण्डाराम हैड कानि0 02, श्री रामजीत सिंह कानि.206, श्री भास्कर हैड कानि.59, दोनो स्वतंत्र गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के तथा गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर को साथ लेकर हमराह साथ लाये वाहनों से पुलिस थाना अरावली विहार से एसीबी कार्यालय अलवर के लिए रवाना हुआ। वक्त करीब 10.50 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय एसीबी स्टाफ सदस्य व दोनो गवाहान एवं जप्तशुदा आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स लैपटॉप, प्रिन्टर, मय जप्त की गई रिश्वत राशि के मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर के पुलिस थाना अरावली विहार से रवाना होकर एसीबी चौकी अलवर पहूंच जप्तशुदा एवं शील्डशुदा समस्त आर्टिक्लस मय ट्रेप बॉक्स के कार्यालय में रखा गया। गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक को स्टाफ की निगरानी में कार्यालय में बैठाया गया। वक्त करीब 11.20 पी.एम पर ट्रेप कार्यवाही में जप्त/शील्डशुदा समस्त वजह सबूत माल/आर्टिकल को मालाखाना प्रभारी श्री भास्कर हैड कानि. 59 के मार्फत चौकी हाजा के मालखाना में दुरूस्त हालत मे जमा करवाया गया। अब तक सम्पन्न की गई कार्यवाही एवं मौके के हालात से दिनांक 13.07.2026 को परिवादी श्री भजनीराम मीणा व सहपरिवादी श्री ललीत कुमार पुत्र श्री यादराम, उम्र-28 साल, जाति मीना निवासी 197, गुर्जर मौहल्ला भनोखर, तहसील कठूमर जिला अलवर की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 14.07.2026 पर आयोजित की गई ट्रैप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्रहामण उम्र 56 साल निवासी धौलापलाश तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर द्धारा अपने वैध पारिश्रम के अलावा भ्रष्ट आचरण रखते हुये परिवादी श्री भजनीराम मीणा से पुलिस थाना अरावली विहार में उसके पुत्र प्रदीप के विरूद्ध दर्ज अपराध संख्या 269/2026 मे अनुसंधान अधिकारी श्री शंकर लाल शर्मा, सउनि में परिवादी के लडके के साथ मारपीट नही करने एवं प्रकरण में मदद करने की एवजं में परिवादी से 25000 रूपये मांग करना तथा दिनांक 13.07.2026 को सुबह परिवादी के घर जाकर परिवादी से 5000/-रूपये रिश्वत के लेना तथा 20000/-रूपये और मांग करने पर परिवादी द्धारा दिनांक 13.07.2026 को ब्यूरो में दी गई शिकायत पर एसीबी चौकी अलवर प्रथम द्धारा दिनांक 13.07.2026 को सत्यापन की कार्यवाही करवाये जाने पर आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर द्धारा रिश्वत मांग सत्यापन के समय परिवादी श्री भजनीराम व सपरिवादी ललीत कुमार से 10000/-रूपये रिश्वत लेना और

10000/- रूपये की मांग कर सहमत होना एवं उक्त मांग के अनुसरण मे आज दिनांक 14.07.2026 को सपरिवादी श्री ललीत कुमार से 10000/-रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर व ग्रहण की गई तथा उक्त ग्रहण की गई रिश्वत राशि आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा, सहायक उप निरीक्षक,पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर के कब्जे से बरामद होने से आरोपी का उक्त कृत्य जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत कारित होना पाया जाने पर नियमानुसार कानूनी प्रावद्यानो की पालना करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। अतः आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 56 साल, निवासी धौलापलाश, तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जयपुर को प्रेषित है। भवदीय (शब्बीर खान) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर प्रथम, अलवर.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 56 साल, निवासी धौलापलाश, तहसील/पुलिस थाना मालाखेडा, जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री सुरजीत सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाडी को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 289 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1193-96 दिनांक 16.07.2026 प्रति़लिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर 2- पुलिस अधीक्षक, अलवर 3– उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जयपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर-प्रथम, अलवर। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** SURJEET SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/07/2026 20:12:59

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)